भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 1989/श्रावण 19, 1911
NO. 412] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 1989/SRAVANA 19, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1989

अधिसूचना

सा.का.नि. 743 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि आइस्ट्रोजन और प्रोजैस्ट्रोन की उच्च मात्रा विनिर्मिति के उपयोग से मनुष्यों के जोखिम में पड़ने की संभावना है और ऐसी विनिर्मिति का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है तथा लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 578 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्यांक 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

> “27. आइस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन (मौखिक गर्भ निरोधक से भिन्न) के संयोजन की नियत मात्रा, जि प्रति टिकिया में आइस्ट्रोजन अन्तर्वस्तु 50 माइक्रोग्राम से अधिक (एथिनाइल एस्ट्राडिओल के स तुल्य) और प्रोजेस्टिन अन्तर्वस्तु 3 मिलीग्राम से अधिक (नोरेथिस्टिशेन ऐसिटेट के समतुल्य हों की सभी नियत मात्रा संयोजन अतः क्षेत्रणीय विनिर्मितियां, जिनमें संश्लिष्ट आइस्ट्रोजन और प्रोजेस् भी है।”।

[सं. एक्स 11018/1/88-डी एम एस और पी एफ

विनीता राय, संयुक्त सचि

टिप्पण :—भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 578 (अ), तारीख 23-7-1983 की अधिसूचना का भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खं (i) में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया- अर्थात् :—

1. सा.का.नि. 49 (अ) तारीख 31-1-1984
2. सा.का.नि. 322 (अ) तारीख 3-5-1984
3. सा.का.नि. 863 (अ), तारीख 22-11-1985
4. सा.का.नि. 700 (अ) तारीख 15-6-1988
5. सा.का.नि. 1057 (अ) तारीख 3-11-1988

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th August, 1989

NOTIFICATION

G.S.R. 743 (E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of high dose formulation of Oestrogen and Progesterone is likely to involve risk to human beings and such formulation have no therapeutic justification and it is necessary and expedient in the public interest so to do :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26-A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the

Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. G.S R. 578 (E), dated the 23rd July, 1983, namely :—

In the Table appended to the said notification, for the serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"27 Fixed dose combination of Oestrogen and Progestin (other than oral contraceptive) containing per tablet estrogen content of more than 50 mcg (equivalent to Ethinyle Estradiol) and of progestin content of more than 3 mg. (equivalent to Norethisterone Acetate) and all fixed dose combination injectable preparations containing synthetic oestrogen and progesterone".

[No. X. 11018|1|88-DMS & PFA]

VINEETA RAI, Jt. Secy.

Note :—Government of India Ministry of Health and Family Welfare Notification No. GSR 578 (E), dated 23-7-1983 was amended by the following notification published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 (i) namely :—

1. GSR 49 (E), dated 31-1-1984
2. GSR 322 (E), dated 3-5-1984
3. GSR 863 (E), dated 22-11-1985
4. GSR 700 (E), dated 15-6-1988
5. GSR 1057 (E), dated 3-11-1988

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989